

**उत्तराखण्ड राज्य में संघ के माध्यम से गेहूँ एवं धान बीज को छोड़कर अन्य समस्त फसलों यथा दाल शाक/सब्जियों के बीज वितरण/विपणन हेतु पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से संघ को आपूर्ति करने हेतु निवेदक प्रस्ताव आवेदन पत्र।**

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०, देहरादून द्वारा योग्य आपूर्तिकर्ताओं से समस्त बीज वितरण/विपणन कार्यों हेतु प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर **प्रार्थना पत्र** मांगी गयी है, जिसके लिए सभी प्रतिभागियों को प्रार्थना पत्र के साथ **₹1,000/- {847.46+152.54} (GST सहित)** शुल्क का भुगतान किया जाना होगा। इच्छुक प्रतिभागी पूर्ण रूप से भरा प्रार्थना पत्र को मांगे गए सभी प्रपत्र एवं शुल्क इत्यादी के साथ डाक/कूरियर एवं हाथों-हाथ के माध्यम से संघ के मुख्यालय में जमा करवाना होगा। उक्त **आवेदन पत्र** को संघ की वेबसाइट [www.ucf.org.in](http://www.ucf.org.in) से डाउनलोड किया जा सकता है, जोकि दिनांक 27/09/2021 से वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

किसी भी एक प्रार्थना पत्र एवं समस्त प्रार्थना पत्रों को बिना कारण निरस्त करने का अधिकार अधो-हस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

**प्रबंध निदेशक**

### आवेदन पत्र की उपलब्धता

1. ईओआई दस्तावेज संघ की वेबसाइट (www.ucf.org.in) से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
2. ईओआई दस्तावेज संघ के मुख्यालय/जिला कार्यालय एवं सोयाबीन परियोजना, हल्द्वचौड से शुल्क का नगद भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते जोकि नॉन रिफंड होगा ।

### महत्वपूर्ण तिथि एवं समय

Date of Uploading of Documents on UCF's website	27 सितम्बर 2021
Submission Start Date and Time	27 सितम्बर 2021, प्रातः 10:00 बजे से
Submission End Date and Time	11 अक्टूबर 2021, सांय 12:00 बजे तक

### आवेदन पत्र से सम्बंधित जानकारी

सभी संभावित आवेदनकर्ता आवेदन पत्र से सम्बंधित जानकारी नियत तिथि से पूर्व निम्नलिखित मोबाइल न० एवं ईमेल से प्राप्त कर सकते हैं:

**E-mail:** [ucfdehradun@gmail.com](mailto:ucfdehradun@gmail.com)

**Contact No:** 8191801902

## **आवेदन पात्र हेतु पात्रता मानदंड**

1. आवेदक भारतीय कानून के उपयुक्त अधिनियम के तहत पंजीकृत एक प्रोपरायटर/फर्म/कंपनी/सोसाइटी आदि होना चाहिए।
2. कम्पनी/साझेदारी फर्म/समिति का कोई भी सदस्य प्रमुख सदस्य/आवेदक बन सकता है, जिस हेतु उनको अधिकृत किया गया हो जोकि (प्रार्थना पत्र में दिए गए प्रारूप के अनुसार) होगा जिसको आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
3. प्रतिभागियों को उनके अनुभव और वित्तीय क्षमता के अनुसार वरीयता एवं सामान कार्य अनुभव के सापेक्ष प्रार्थमिकता दी जाएगी |
4. आवेदक के पास वर्तमान तिथि तक का वैद्य GST, PAN, एवं कम्पनी/फर्म/समिति पंजीकरण होना अनिवार्य है जोकि आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा।
5. आपूर्तिकर्ता को R & D Program DSIR (Govt. of India Recognition) होना अनिवार्य है जोकि आवेदन पत्र के संलग्न करना होगा।
6. आवेदक के द्वारा आपूर्ति की जाने वाले बीजों के लिया Breeder Certificate होना अनिवार्य है, जोकि आवेदन पत्र के संलग्न करना होगा।
7. आवेदक द्वारा बीजों के सम्बन्ध दी गयी जानकारी Seed Act के अनुसार होना चाहिए का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है |
8. आपूर्तिकर्ता का व्यवसाय कम से कम 02 वर्ष का होना चाहिए |
9. आवेदक को किसी भी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारिता समिति को भ्रष्ट और कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए कभी भी डिवार/ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया, इस आशय का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. आवेदक पिछले 02 वर्षों में दिवालिया नहीं होना चाहिए, का शपथ पत्र ।
11. आवेदक संघ, पर तैनात किसी भी कर्मचारी/अधिकारी/निदेशक या अन्य किसी पदासीन व्यक्ति का रिश्तेदार अथवा सगा सम्बन्धी नहीं होना चाहिए, ऐसा पाए जाने पर आवेदन को निरस्त/अमान्य घोषित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास रक्षित होगा जोकि सर्वमान्य होगा |
12. मूल दस्तावेज प्रबंधक निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि० प्राइस सपोर्ट अनुभाग, यू सी एफ सदन – दीप नगर रोड, विष्णु विहार, देहरादून – 248001 एवं जिला कार्यालय को नियत तिथि एवं समय पर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा |
13. आवेदक को आवेदन पत्र तैयार करने और जमा करने से संबंधित सभी लागतों को वहन करेगा।



**सामान्य शर्तें**

1. किसी भी नियम एवं शर्त का किसी भी समय एवं किसी भी प्रकार से उल्लंघन स्वीकार्य नहीं होगा।
2. कार्य आपूर्ति की प्रक्रिया के किसी भी चरण में, यदि यह पाया जाता है कि आवेदक ने गलत और भ्रामक प्रमाण पत्र/सूचना/दस्तावेज दिया है, तो संघ आवेदन पत्र को रद्द करने, सुरक्षा की जन्ती सहित उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।
3. संघ के पास आवेदक (आवेदकों) से किसी भी अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेजों की मांग करने का अधिकार सुरक्षित है और इसे आवेदक द्वारा दी गई समय अवधि के भीतर संघ को प्रस्तुत किया जाएगा।
4. चयनित आवेदक को चयन सूचना के पश्चात् 05 दिन के अन्दर ₹ 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र) की धरोहर राशि "UTTARAKHAND STATE COOPERATIVE FEDERATION LTD." के नाम से जोकि DEHRADUN पर देय होगा का भुगतान FDR के माध्यम से जमा करना होगा।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक/अधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर (Seal/स्टाम्प) अंकित करना अनिवार्य होगा।
6. आवेदक अपना पूर्ण रूप से भरा आवेदन संघ मुख्यालय पर नियत तिथि पूर्व/तक जमा करा सकते हैं।



**आवेदन पत्र (आवेदक संस्था/फर्म/कम्पनी/समिति/व्यक्ति के लैटर पेड पर)**

सेवा में,  
प्रबंध निदेशक  
उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०  
“यू सी एफ सदन” – दीप नगर रोड,  
विष्णु विहार, देहरादून,  
उत्तराखण्ड - 248001

महोदय,

मैं/हम, आबंटित राज्य/जिले/क्षेत्र में संघ के वितरण/विपणन कार्य हेतु सूचीबद्ध करने के लिए प्रसंस्करण शुल्क जमा करते हैं।

मैंने/हमने आवेदन पत्र में निहित सभी नियमों और शर्तों की पूरी तरह से जांच और समझ कर ली है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि संघ इस आवेदन पर हस्ताक्षर करने और जमा करने के लिए विधिवत अधिकृत हैं।

आपका विश्वासी

अधिकृत हस्ताक्षर

नाम:.....

पदनाम:.....

मो. न.:.....

दिनांक:.....

स्थान:.....

**आवेदन पत्र**

आवेदक संस्था/फर्म/कम्पनी/समिति/व्यक्ति का नाम	
व्यवसाय का नाम	
कानूनी नाम (पेन आधारित)	
व्यवसाय का प्रकार (फर्म/कम्पनी/समिति/व्यक्ति का नाम/एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन्स/बॉडी ऑफ़ इंडीविज्युलस)	
पंजीकृत पत्राचार का पता	
पंजीकरण सं०	
PAN	
GSTN	
AADHAR अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्रोपरायटर	
License No. (if any)	
अधिकृत व्यक्ति का नाम , पद नाम, मो०न० एवं ई-मेल	
अधिकृत व्यक्ति के पत्राचार का पता	

नोट: उपरोक्त सभी के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

संस्था/फर्म/कम्पनी/समिति/व्यक्ति का संक्षिप्त ब्यौरा एवं कार्य अनुभव

व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण

कार्य अनुभव का विवरण

(पूर्व में किया गए कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र कि छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।)

